

उपस्थित श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री गोयल इलैक्ट्रोनिक्स, रेलवे रोड, गाजियाबाद ।
प्रार्थना पत्र संख्या 355 / 08
प्रार्थी की ओर से श्री टी0 एस0 गुजराल, अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-355 / 08, दिनांक 29.8.08 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से व्यापारी द्वारा Set Top Box For Television पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?
2. फर्म की ओर से श्री राकेश अग्रवाल, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि Set Top Box For Television उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-63 के अन्तर्गत setellite receiver के अन्तर्गत आता है । अतः उनके प्रोडक्ट पर 4% की दर से करदेयता बनती है । इसके अतिरिक्त उनका प्रश्नगत Set Top Box उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-6 के अन्तर्गत Transmission apparatus भी आता है ।
3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-63 निम्नवत है :-

63	I.T. products (as mentioned in Part-B) including computers, telephones and parts thereof, cellphones, satellite receivers, DVD, CD, teleprinter and wireless equipment and parts thereof. (उक्त प्रविष्टि नोटिफिकेशन संख्या-2758, दिनांक 29.9.08 द्वारा विलोपित कर दी गई है) ।
----	--

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-6 निम्नवत है :-

6	Transmission apparatus other than apparatus for radio or T.V. broadcasting, Transmission apparatus incorporating reception apparatus, digital still image video cameras
---	---

4. डिप्टी कमिश्नर (क0 नि0)-14, वाणिज्य कर, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या-219, दिनांक 15.9.08 द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार व्यापारी का प्रोडक्ट अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-6 के अन्तर्गत नहीं आता है । आख्या में बताया गया है कि Set Top Box टेलीवीजन के लिए प्रसारित होने वाले विभिन्न चैनलों की तरंगों को ग्रहण करने के लिए प्रयोग होता है तथा चैनल का शुल्क अदा करने के बाद ही चैनल चालू होता है । Set Top Box टी0 वी0 का पुर्जा न हो कर टी0 वी0 के सिग्नल ग्रहण करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि-6 में रेडियो एवं टी0 वी0 के प्रसारण एवं संग्रहण के उपकरण शामिल नहीं किये गये हैं । Set Top Box विशेष कर टी0 वी0 के प्रसारण को प्राप्त करने वाला apparatus है । अतः



सर्वश्री गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स / प्रा0 सं0-355 / 08 / धारा-59 / पृष्ठ-2

इस प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं है। अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-63 में वही वस्तुएं I.T. प्रोडक्ट में सम्मिलित है जो अनुसूची-II, भाग-ख में उल्लिखित है। चूँकि अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि-6 में Set Top Box सम्मिलित नहीं है अतः इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता बनेगी।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-63 नोटिफिकेशन संख्या-2758, दिनांक 29.9.08 द्वारा विलोपित कर दी गई है तथा Set Top Box किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है तथा यह setellite receiver भी नहीं है। चूँकि Set Top Box किसी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है अतः अवर्गीकृत होने के कारण अनुसूची-4 के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5+1% की दर से कर देय होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 18, फरवरी, 2010

ह0/- 18.2.2010

(चन्द्रभानु)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उर प्रदेश, लखनऊ।



प्रमाणित प्रतिलिपि